इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 359] भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 अगस्त 2019—भाद्र 2, शक 1941

विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2019

फा. क्र. 10-क-चार-निरर्हित-2019-15343.—भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्र. 76-MP-LA (Bye)-2014, दिनांक 7 अगस्त 2019 सर्व-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

अरुण कुमार तोमर, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 07 अगस्त, 2019—16 श्रावण, 1941 (शक)

आदेश

सं.76-म.प्र.-वि.स.-(उप-निर्वाचन)-2014.—यत:, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश राज्य से विधान सभा के उप-निर्वाचन में, स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से और उसके सामने स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत यथाअपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं;

और, यत:, उक्त अभ्यर्थी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् नोटिस दिए जाने के बावजूद, उक्त विफलता के लिए या तो कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है, या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त विफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है;

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के लिए

सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:—

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मध्यप्रदेश विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन, 2018.	34-मुंगावली	अनरत सिंह अहिरवार, ग्राम सांवलहेडा, पोस्ट बिल्हेरू, थाना व तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश.	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं.

आदेश से,
हस्ता./-
(एस. बी. जोशी)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 07th August, 2019—16 Shravana, 1941 (Saka)

ORDER

No. 76-MP-LA-(Bye)-2014.—WHEREAS, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the Bye Election to the Legislative Assembly in the Madhya Pradesh State specified in column (2) and held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge the account of his election expenses as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made there under;

AND, WHEREAS, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission of India or after considering the representation made by him if any, the Election Commission of India is satisfied that he/she has no good reason or justification for the said failure;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission of India hereby declares the person specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order:—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reason for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bye Election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2018.	34-Mungaoli	Anarat Singh Ahirwar, Village Sanvalheda, Post Bilehru, Tehsil Mungaoli, Distt. Ashoknagar, Madhya Pradesh.	Failed to lodge account of his election expenses.

By Order
Sd/-
(S. B. JOSHI)
Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.